न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– एन. एम. पहाडिया, आई.ए.एस., जिला कलक्टर धौलपुर
अपील (प्रकरण) संख्या :– 97/2017 RCMS No.2017/00129
उनवानी प्रकरण :–

1. दिनेश कुमार पुत्र शिवराम जाति जाटव निवासी ग्राम कुन्जी का नगला तहसील बाडी जिला धौलपुर ———————————— अपीलान्ट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी धौलपुर ———— रेस्पोडेन्ट।

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 10.5.2017 द्वारा जिला रसद अधिकारी धौलपुर प्र0 स0 45/2016 व उनवानी प्रकरण सरकार बनाम दिनेश कुमार उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत अलीगढ 1/3 भाग

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से :– श्री जानकी प्रसाद शर्मा अभिभाषक।
1. रेस्पोडेण्ट की ओर से :– श्री अनुभव पाराशर सहा0 लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी

निर्णय दिनांक 3.7.2018

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील जिला रसद अधिकारी धौलपुर के निर्णय दिनांक 10.5.2017 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की है जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि:– अपीलान्ट एक एफ.पी.एस. डीलर है जिसका उचित मूल्य दुकान प्राधिकार संख्या 376/1997 है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निर्णय कानून व रिकोर्ड व अपीलान्ट द्वारा दिये गये जबाव के विपरीत है। आदेश पारित करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने अपने न्यायिक विवेक का कतई उपयोग नहीं किया है तथा प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जो कार्यवाही की है वह जिला रसद अधिकारी के दिशा निर्देश व मनमाने व पक्षपात पूर्ण तरीके से की गई है। तथा अपीलान्ट से अकारण कुपित होकर अनुचित सामग्री प्राप्त करने दुर्भावना पूर्ण उददेश्य से की है जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जबाव नोटिस में यह स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसे निलम्बन के आदेश 10 अप्रैल के बाद प्राप्त हुए है तब तक अपीलान्ट द्वारा उक्त 80 क्विंटल गेहूँ का उपभोक्ताओं में वितरण 5 अप्रेल से 10 अप्रैल के मध्य कर दिया गया है। जिसका रिकोर्ड/इन्द्रा वितरण रजिस्टर में दर्ज है। जिसका अवलोकन करने व मँगवाने का कोई आदेश व प्रयास अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विपक्षी द्वारा नहीं किया गया और इस मुददे पर उसे सुनवाई का भी कोई मौका नहीं दिया गया जिससे सिद्ध होता है कि अपीलान्ट को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से भी वंचित रख गया है इसस कारण पारित आदेश प्रदूषित व पक्षपात पूर्ण है। अपीलान्ट द्वारा राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के

(नन्दलाल पहाडिया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

प्रावधानों का कोई उल्लघंन नहीं किया गया है। अपीलान्ट के विरूद्ध पूर्व में कोई शिकायत नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 24.4.2016 का कोई निर्वहन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अपीलान्ट पर नहीं हुआ है। माह अप्रैल 2016 के पेटे शेष राशन सामग्री को जो अटैच डीलर को हस्तान्तरण होना आदेश में स्वंय स्वीकार किया है। और शेष 80 क्विंटल गेहूँ का वितरण नियमानुसार कर वितरण रजिस्टर में इन्द्राज मौजूद है । इस दौरान निलम्बन का कोई आदेश अपीलान्ट को प्राप्त नहीं हुआ इससे सिद्ध है कि अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई गलती नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुलिस थाना कंचनपुर पर मुकदमा नम्बर 195/2016 अधीन धारा 3/7 ई.सी. एक्ट के तहत दर्ज कराया जिसमें सम्बन्धित थाना द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में अन्तिम रिर्पोट संख्या 146/2016 दिनांक 19.10.2016 प्रस्तुत की और प्रकरण को झूठा माना इस ओर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है। अपीलान्ट अनुसूचित जाति का गरीब व्यक्ति है तथा उक्त प्रकरण के तहत दर्ज बयानात गवाहान द्वारा भी यह सिद्ध किया है कि अपीलान्ट ने कोई गलती नहीं है वह नियमित वितरण करता है और उसने सामान वितरण करने में कोई अनियमितता नहीं बरती है । गॉव के असामाजिक व्यक्ति झूठी शिकायत करते रहते हैं इस तथ्यों की ओर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है। अपीलान्ट को सुनवाई एवं जिरह करने का मौका नहीं दियां। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपने पद का दुरूपयोग किया गया है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के चक्कर लगाता रहा । अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी 13.6.2017 को हुई जानकारी दिनांक से अपील अन्दर म्याद पेश है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.5.2017 निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया कि उन्हें इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर मूल पत्रावली के साथ संलग्न की गई।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में प्रमाणित प्रति निर्णय दिनांक 10.5.2017, प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 19.10.2016 अन्तिम प्रतिवेदन न्यायालय सी.जे.एम. धौलपुर प्रथम सूचना रिर्पोट 195/2016 दिनांक 1.6.2016, तहसीलदार बाडी का पत्र दिनांक 2.5.2016 की फोटोप्रति, फोटो प्रति बयान रामकरन मीणा तहसीलदार बाडी, फोटो प्रति बयान प्रकाश चन्द्र मीणा नायब तहसीलदार बाडी, फोटो प्रति फर्द निरीक्षण घटनास्थल, फोटोप्रति बयान रूप सिहं पुत्र टीकाराम, फोटो प्रति बयान मोहर सिहं पुत्र राकिशन तहसीलदार बाडी का पत्र दिनांक 11.8.2016 ,फोटो प्रति मौका पर्चा दिनांक 30.4.2016, फोटो प्रति मौका पर्चा सुपुर्दगीनामा, फोटो प्रति तहसीलदार बाडी के पत्र दिनांक 18.7.2016 बयान विद्यराम पुत्र नेकराम, बयान श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी शिवराम, बयान राघवेन्द्र पुत्र शिवराम बयान सुन्तानपुत्र रूप सिहं की फोटो प्रतियॉ पेश की ।

रेस्पोडेण्ट की ओर से अपने समर्थन में पत्रावली के अतिरिक्त कोई अन्य साक्ष्य या दस्तावेज पेश नहीं किये ।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय से पूर्व कानून, रिकोर्ड व अपीलान्ट द्वारा दिये गये जबाव पर गौर नहीं किया है।

(नन्दमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

अपीलान्ट को निलम्बन के आदेश 10 अप्रैल के बाद प्राप्त हुए है तब तक अपीलान्ट उक्त 80 क्विंटल गेहूँ का उपभोक्ताओं में वितरण कर चुका था। जिसका रिकोर्ड/इन्द्राज वितरण रजिस्टर में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने रिकोर्ड का अवलोकन करने व मँगवाने का कोई प्रयास नहीं किया। अपीलान्ट को सुनवाई या साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अपीलान्ट के विरूद्ध पूर्व में कोई शिकायत नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुलिस थाना कंचनपुर पर मुकदमा नम्बर 195/2016 अधीन धारा 3/7 ई.सी. एक्ट के तहत दर्ज कराया जिसमें सम्बन्धित थाना द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में अन्तिम रिर्पोट संख्या 146/2016 दिनांक 19.10.2016 प्रस्तुत की और प्रकरण को झूठा माना इस और भी अधीनस्थ न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया है। प्रकरण में गवाहान के बयानात से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट ने कोई गलती नहीं है वह नियमित वितरण करता है और उसने सामान वितरण करने में कोई अनियमितता नहीं बरती है । गॉव के असामाजिक व्यक्ति झूठी शिकायत करते रहते है । जानकारी दिनांक से अपील अन्दर म्याद पेश है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.5.2017 निरस्त किया जावे ।

रेस्पोडेण्ट के विद्वान सहायक लोक अभियोजक प्रथम श्रेणी ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि 80 क्विंटल गेहूँ का वितरण दिनांक 5 अप्रेल से 10 अप्रैल के बीच होना बताया है वह फर्जी है तथा रजिस्ट्ररों में इन्द्राजात फर्जी किये गये हैं । अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के बाद भी कय विकय को माल नहीं संभलवाया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक को अपीलान्ट जानबूझ कर उपस्थित नहीं हुआ। पोश मशीन व माल भी सुपुर्द नहीं किया गया। प्रथम सूचना रिर्पोट संख्या 195/2016 थाना कंचनपुर में पुलिस द्वारा एफ. आर. सम्बन्धित न्यायालय में पेश की है जो अभी विचाराधीन है जिसमें न्यायालय ने एफ. आर. की स्वीकृति प्रदान नहीं की है । वक्त निरीक्षण उपस्थित उपभोक्ताओं ने बताया कि अपीलान्ट राशन सामग्री का वितरण प्रति माह नियमित रूप से नहीं करता है तथा राशन कार्डो में राशन सामग्री का फर्जी इन्द्राज कर दिया जाता है । उपस्थित उपभोक्ताओं ने निरीक्षण कर्ता को यह भी अवगत कराया है कि अपीलान्ट उपभोक्ताओं से अभद्र व्यवहार करता है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.5.2017 यथावत रखा जावे ।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि :–

1. अपीलान्ट की दुकान का निरीक्षण दिनांक 21.3.2016 को किया गया अधीनस्थ न्यायालय ने निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 22.3.2016 को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया अपीलान्ट को निरीक्षण रिपोर्ट में पायी गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कोई नोटिस नहीं दिया इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा कर न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत आदेश पारित किया है ।
2. निरीक्षण कर्ता द्वारा अपनी निरीक्षण रिपोर्ट के साथ फर्द राशनकार्ड जॉच प्रस्तुत की है उसमें जिन राशनकार्डधारियों के हस्ताक्षर या निशानी अँगूठा हो रहे हैं वह भिन्न भिन्न तारीखों में हो रहे हैं जैसे राशनकार्ड धारी रामबाबू के हस्ताक्षर दिनांक 31.1.2016 है। रेसो, कम्पूरी, लवकुश आदि के हस्ताक्षर एवं निशानी अँगूठा दिनांक 21.2.2016 हैं। इस प्रकार यह फर्द राशनकार्ड जॉच सत्यता के परे प्रतीत होती है।

(नन्दलाल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

3. वक्त निरीक्षण फर्द मजमे आम में जिन उपभोक्ताओं ने यह बताया कि अपीलान्ट द्वारा राशन सामग्री वितरण में अनियमितता की जा रही है तथा राशन सामग्री का वितरण नहीं किया जाता एवं राशन सामग्री का फर्जी इन्द्राज राशन कार्ड में कर दिया जाता है। इस सम्बन्ध में निरीक्षण कर्ता द्वारा किसी भी उपभोक्ता के पृथक पृथक बयान नहीं लिये गये हैं ना ही ऐसे राशनकार्डो की फोटो प्रति पेश की है जिससे यह तथ्य सिद्ध हो सके कि अपीलान्ट वितरण में अनियमितता कर सामग्री का वितरण नहीं करता है तथा राशनकार्ड में फर्जी इन्द्राज कर दिया जाता है ।
4. अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 10.5.2017 को पारित किया है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आर्डरशीट दिनांक 10.5.2017 में यह अंकित किया गया है कि " पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी डीलर उप0। अप्रार्थी डीलर द्वारा 80 क्विं. गेहूँ का जबाव पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया । अप्रार्थी डीलर को सुना गया। अतः अप्रार्थी डीलर का माह मार्च 2016 एवं अप्रैल 2016 का वितरण एवं स्टाक रजिस्टर तलब कर पत्रावली दिनांक 16.5.2017 को पेश हो। दिनांक 16.5.2017 की आर्डरशीट में यह ओदश पारित किया गया है कि " पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी डीलर उप0 नहीं। पत्रावली का अवलोकन किया गया अतः अप्रार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र निरस्त किया जाता है एवं प्रतिभूमि राशि जब्त सरकार की जाती है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार कर दाखिल दफतर हो । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं आर्डरशीट दिनांकों में भिन्नता है इससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने विवेक का उपयोग नहीं किया है।
5. आर्डशीट दिनांक 10.5.2017 इस बात को सिद्ध करती है कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व वितरण एवं स्टाक रजिस्टर का अवलोकन नहीं किया हैं।
6. अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान नहीं किया गया है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना एवं पत्रावली पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित किया जाता उचित समझते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.5.2017 अपास्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें । निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली वापिस भिजवाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफत्र हो। नम्बर से कम की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

(एन. एम. पहाडिया)
जिला कलक्टर, धौलपुर